सेवा में,

आर०टी०आई० अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
कानपुर

विषय- स्थायी रूप से विकलांग पुत्र को पेन्शन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी भगवानदास स्थायी रूप से विकलांग है और इनकी आयु ४२ वर्ष है। प्रार्थी के पिता स्व० गिरधारी आपकी संस्था में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी की माता स्व० श्रीमती बरसाती को यह पेन्शन मिलती थी। परन्तु श्रीमती बरसाती के निधन के बाद बैंक द्वारा पेन्शन बन्द कर दी गई चूंकि इस पेंशन पर पूर्णतः आश्रित था और पेन्शन ही उसके भरण पोषण का एकमात्र साधन था। इस सम्बन्ध में आपके पत्र दिनांक ११.०५.२०१६ का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

आपको पत्र के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्र के साथ १० रू० का पोस्टल आर्डर संलग्न किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पेन्शन मुझे अनुमन्य है। यदि हाँ तो आगे की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

प्रार्थी

१. १० रू० पोस्टल आर्डर 33F 827113
२. पी०पी०ओ० की छायाप्रति
३. स्व० गिरधारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
४. स्व० बरसाती का मृत्यु प्रमाण पत्र
५. राशन कार्ड की छाया प्रति
६. विकलांग प्रमाण पत्र
७. निराश्रित प्रमाण पत्र

Bhagdas 8-6-016
भगवान दास
पत्राचार का पता
ग्राम- भरतपुरा
पो०- तामा (हैंसर बाजार)
जिला- संतकबीर नगर
पिन - २७२१६५
मो०- ९५५९७६९६१९

कृपया PO No. 33F 827113 Rs 10/- जमा कर रसीद जारी करें।

निरीक्षक कार्यालय क्र० सं० 640 दिनांक 14/6/16

TR No. 292324 dt. 16/6/2016

RTI MATTER /BY SPEED POST

सं.25(52)/2014/RTI/Vol-VI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

फोन : 0512-2570542, 543
फैक्स : 0512-2570247
ई—मेल : nsikanpur@nic.in

कानपुर — 208017
दिनांक : 13.07.2016

सेवा में,

श्री भगवान दास
ग्राम भरतपुरा, पो तामां (हैंसर बाजार)
जिला संत कबीर नगर – 272165।

जारी
संख्या 39
दिनांक 13/7/16

विषय : स्थाई रूप से विकलांग पुत्र को पेंशन स्थानांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता हैं कि आपके स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में पेंशन की अनुमन्यता के विषय में आपके पिता स्व. श्री गिरधारी, सेवानिवृत्त चौकीदार, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की सेवापुस्तिका की पड़ताल की गयी तथा आपके द्वारा प्रेषित PPO की प्रति पर भी गौर किया गया। इन दस्तावेजो में आपकी विकलांगता की सूचना उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस सूचना / जानकारी के अभाव में नियमानुसार आपको पेंशन अनुमन्य नहीं हैं।

इस सन्दर्भ में आगे आपको यह सूचित किया जाता कि उक्त विषय में आप इस संस्थान के कल्याण अधिकारी से उपरोक्त पते पर पत्राचार कर सकते हैं तथा अन्य जानकारी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट http://persmin.gov.in/pension/rules/ccspen1.htm से प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं—

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर—208017

भवदीय,

(राकेश शुक्ला)
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी /
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी